

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी विलखर व भू अभिलेख निरीक्षक गोस्वामी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नयब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम विलखर पटवार हल्का विलखर तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 1573 to 1576 में खाता संख्या 133 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>विलखर</u>	133	<u>गोपाली w/o चमार खरीक</u>	<u>गोपाली उर्फ गोपीदेवी w/o चमार लाल खरीक</u>

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक तहसीलदार करेड़ा
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 112

दिनांक:- 15/6/22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालन रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गोपाली उर्फ गोपीदेवी w/o चमार लाल खरीक

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक तहसीलदार करेड़ा
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा



2022/344